न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 05 / 2024

राज.सरकार प्रवर्तन निरीक्षक रसद, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र सिहं पुत्र लक्ष्मण सिहं, मन्नत ढाबा, आगरा रोड, भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद

2–श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 23.04.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.9.24 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ आगरा मार्ग पर मन्नत ढाबा पर पहुंचे। मौके पर ढावे के गैस बैंक में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग चूल्हे के ईंधन के रूप में किया जाना पाया एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों की विहित उपस्थिति उपभोक्ता के रसोई घर में है परन्तु उक्त श्रेणी के घरेलू गैस सिलेण्डर व्यायवसायिक रूप से ईंधन के रूप ढाबे पर प्रयुक्त्त किये जा रहे थे एवं इस स्थान पर इनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज पेश नही किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं मौके पर होटल की रसोई मे व्यवसायिक उपयोग करता पाया गया है। मौके पर होटल में घरेलू गैस सिलेण्डर होटल व्यवसाय के कार्य में उपयोग होना पाये गये हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का न तो कोई भंण्डारण कर रहा था और ना ही उपभोग कर रहा था प्रार्थी के पास पहले से ही व्यावसायिक सिलेण्डर उपलब्ध थे, जिनका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दूसरों के रखे गैस सिलेण्डरों को गलत तरीके से जप्त कर लिया है। और कोरे कागजों पर गवाहन के हस्ताक्षर करा लिये हैं मौके पर न तो कोई पूछताछ की गई और ना ही किसी विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया। प्रार्थी से जप्त सिलेण्डरों का कोई भी भण्डारण या वितरण किसी व्यावसायिक उपयोग के लिये नहीं किया है एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किसी पहचान वालों के खाली रखे हुये गैस सिलेण्डरों को जप्त किर लिया था जिनकी ग्राहक पास–बुक प्रति जबाब के साथ संलग्न है, घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग केवल होटल के कर्मचारियों के लिए भोजन तैयार करने में किया जा रहा था, इस प्रकार के लिए इसे घरेलू उपयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती सिलेण्डर का ढाबे के बाहर रखना यह कोई जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं था, बल्कि किसी कर्मचारी की गलती से अपने पहचान वालों का खाली सिलेण्डर गलती से रख लिया और प्रवर्तन अधिकारी ने शकसुवा के आधार पर ही सारी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी के जप्त घरेलू सिलेण्डरों को सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया। होटल में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का होटल कार्य के लिये व्यवसायिक कार्य में लिप्त पाया गया है। जबकि घरेलू गैस सिलेण्डर घर की रसोई में होना चाहिये था। अप्रार्थी का यह कहना कि ढावे पर मौजूद घरेलू गैस सिलेण्डर पहचान वाले व्यक्तियों के हैं, इससे स्पष्ट है कि निरीक्षण दल द्वारा उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष जप्ती की समस्त कार्यवाही की गई है एवं सभी गवाहान के उक्त कार्यवाही पर किये गये हस्ताक्षर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि निरीक्षण दल की कार्यवाही सही है। उक्त फर्द मौका जप्ती कार्यवाही पर अप्रार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर भी किये गये हैं। अप्रार्थी ने उक्तानुसार निरीक्षण दल द्वारा की गई कार्यवाही पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इससे यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार कथन किये गये हैं वे बाद की सोच के तहत हैं, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये होटल में उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है साथ ही जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

प्रा0पत्र / 05 / 2024
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम महेन्द्र सिहं

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर